

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २१९] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर २७, १९७२/आश्विन ५, १८९४

No. 219] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1972/ASVINA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th September, 1972.

No. DRAWBACK/PN-77/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

In Sub-serial No. 4604, under the column 'Rate of drawback' for the words and figure 'Sub-serial No. 1921 in respect of PVC Content' occurring in item (2), the following words and figure shall be substituted, namely:—

"Sub-serial No. 1918(a) in respect of PVC Composition Content."

M. PANCHAPPA,
Director (Drawback).

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-77/72 :—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रति अदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 4604 में, “प्रतिअदायगी की दर” स्तम्भ के अन्तर्गत, मद (2) में आने वाले “पी० वी० सी० अन्तर्वस्तु से संबंधित उपक्रमांक 1921” शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किये जाएँ, अर्थात् :—

“पी० वी० सी० संघटन अन्तर्वस्तु से संबंधित उपक्रमांक 1918 (क)” ।

एम० पंचपा,
निदेशक (प्रतिअदायगी) ।